



98

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू-र/2017/214)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प.क /17/निगरानी

नंदराम कुशवाह पुत्र स्व0 श्री
रामरतन निवासी आऊखाना कलां
उरवाई गेट ग्वालियर

—प्रार्थी

बनाम

श्री (मू) सुहा, मफ

10.7.17

श्री (मू) सुहा, मफ
द्वारा आज 10.7.17
प्रस्तुत

कल 10.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ओमप्रकाश कुशवाह पुत्र स्व0 श्री
रामरतन कुशवाह निवासी आऊखाना
कलां उरवाई गेट ग्वालियर

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध प्रकरण कमांक
1/13-14/अ-3 मे पारित आदेश दिनांक 24.06.2017 पारित द्वारा न्यायालय
नायब तहसीलदार ग्वालियर (म0प्र0)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुनर्विलोकन/ग्वालियर/भू.रा./2017/2141

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-7-2017	<p>आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 24-6-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश से तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि आवेदक द्वारा पूर्व में आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनका समय-समय पर निराकरण किया जाता रहा है । आवेदक द्वारा केवल प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जो कि विचार योग्य नहीं हैं । उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>